Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.

Land Dispute Appeal No.- 175/2015

Md. Hazrat & Ors ..... Appellants.

Versus

Md. Asagar & Ors ..... Respondents.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	30.11.2023	**आदेश** प्रस्तुत अपील न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर, पूर्णिया द्वारा भूमि विवाद निराकरण वाद सं0–273/2011–12 में दिनांक–09.05.2015 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। विलंब क्षांत हेतु पृथक आवेदन दाखिल है। अपीलार्थी एवं राज्य को सुना। अपीलार्थी का कथन है कि निम्न न्यायालय में उत्तरवादी द्वारा वाद दायर करते हुए दावा किया गया कि मौजा–देवीनगर, थाना सं0–131, खाता सं0–422, खेसरा सं0–156, रकवा–01 एकड़ भूमि दिनांक–25.11.1957 को शेख खलील को बंदोबस्त हुआ था। जिसपर ये दखलकार होकर भू–लगान भुगतान करते रहे। आगे अपीलार्थी का कहना है कि उनके पिता मुजफ्फर अली जो शेख अली के दामाद थे, मुजफ्फर अली को भी खाता सं0–422, खेसरा सं0–156, रकवा–2.00 एकड़ भूमि बंदोबस्त थी जिसपर ये शांतिपूर्ण दखलकार रहते हुए कृषि कार्य कर रहे थे तथा अंश भाग पर निवास कर रहे हैं तथा कुछ हिस्सा मस्जिद एवं बाड़ी–झाड़ी के रूप में उपयोग किया जा रहा है। उत्तरवादी का कहना है कि अपीलार्थी द्वारा 0.40 डी0 भूमि अतिक्रमित कर लिया गया है। अपीलार्थी द्वारा निम्न न्यायालय में सभी दस्तावेज प्रस्तुत करते हुए वर्ष 1974 के पूर्व उक्त भूमि की खरीद बिक्री होने के आधार पर अपीलार्थियों का प्रश्नगत भूमि पर वैध दावा बनता है। निम्न न्यायालय द्वारा इन तथ्यों पर अनदेखी करते हुए आदेश पारित किया गया। इनका आगे कथन है कि निम्न न्यायालय आदेश तथ्यों से परे एवं अवैध है। अपीलार्थी प्रश्नगत भूमि पर बाग–बगीचा लगाकर दखलकार है और भू–लगान भुगतान कर रहे हैं। मुसाई महतो से उक्त भूमि क्रय करते हुए क्रेता दखलकार रहकर वर्ष 1967 में उत्तरवादी सं0–03 से 06 के पूर्वजों के पास बिक्री की जिसपर ये दखलकार हैं। शेख खलील द्वारा वर्ष 1963 में उक्त भूमि का विक्रय करना वैध है। उत्तरवादी सं0–01 के द्वारा इनके विक्रय संलेख को बिना निरस्त कराये दावा किया जाना वैध नहीं है। उभय पक्ष पड़ोसी है। बरसात के समय में अपीलार्थी ने उत्तरवादी को प्रश्नगत भूमि के एक हिस्से में	

Web Copy, Not Official.

		घर बनाकर निवास करने की अनुमति दी गई है। अंचलाधिकारी द्वारा प्रश्नगत भूमि पर अपीलार्थी का दखल प्रतिवेदित है। निम्न न्यायालय द्वारा इन तथ्यों की अनदेखी करते हुए आदेश पारित किया गया है। इस प्रकार इनकी ओर से क्रमशः	
	लगातार 30.11.2023	अपील स्वीकृत करने की प्रार्थना की गई है। इसी प्रकार उत्तरवादी सं0–03 से 06 की ओर से प्रत्युत्तर समर्पित करते हुए अपीलार्थी के कथनों का समर्थन किया गया है। इस प्रकार इनकी ओर से भी अपील स्वीकृत करने की प्रार्थना की गई है। दूसरी तरफ उत्तरवादी प्रथम पक्ष की ओर से दायर प्रत्युत्तर एवं लिखित बहस के अनुसार कथन है कि प्रस्तुत अपील तथ्यों के आधार पर पोषणीय नहीं है। प्रश्नगत भूमि इनके पूर्वज खलील को वर्ष 1957 में बंदोबस्त की गई जिसपर वे दखलकार रहते हुए भू–लगान भुगतान करते रहे। उनकी मृत्यु पश्चात् उनके वैध वारिशान दखलकार हैं। उक्त भूमि के ठीक दक्षिण तरफ मुजफ्फर अली को भी भूमि बंदोबस्त की गई। मुजफ्फर अली की मृत्यु पश्चात् इनके वारिशानों द्वारा उत्तरवादी के भूमि का अतिक्रमण करते हुए 40 डी0 भूमि पर बलपूर्वक दखल कर लिये। जिसके खिलाफ इनके द्वारा जिला पदाधिकारी, पूर्णिया के समक्ष आवेदन दिया गया। जिसके आलोक में निम्न न्यायालय में वाद संधारित किया गया। शेख खलील द्वारा वर्ष 1963 में उक्त भूमि मुसाई महतो को हस्तांतरित कर दी गई जिसे मुसाई महतो द्वारा 1967 में बीबी जरीमन निशा को बिक्री कर दी गई। इनका कथन है कि शेख खलील द्वारा कभी भी उक्त भूमि बिक्री नहीं की गई है। अपीलार्थी के पास जाली विक्रय संलेख है। अंचलाधिकारी, श्रीनगर ने ज्ञापांक–930 दिनांक–04.10.2012 द्वारा प्रतिवेदित किया है कि शेख खलील एवं मुजफ्फर अली वर्ष 1957 से अपनी भूमि पर दखलकार हैं। बंदोबस्त की गई भूमि हस्तांतरित नहीं की जा सकती है। निम्न न्यायालय द्वारा पक्षकार दोषग्रसित रहने के कारण इनके वाद को खारिज कर दिया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध उत्तरवादी द्वारा इस न्यायालय में बी0एल0डी0आर0 अपील सं0–145/2013 दायर किया गया जिसमें उभय पक्षों की सुनवाई करते हुए दिनांक–20.02.2013 को निम्न न्यायालय आदेश निरस्त करते हुए भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, पूर्णिया के समक्ष गुण–दोष के विचारण हेतु विप्रेषित किया गया। जिसके आलोक में निम्न न्यायालय द्वारा उक्त वाद को पुर्नजीवित करते हुए उभय पक्षों की सुनवाई की गई। अभिलेख में उपलब्ध दस्तावेज एवं उभय पक्षों के सुनवाई पश्चात् निम्न न्यायालय द्वारा उत्तरवादी के पक्ष में आदेश पारित किया गया। इस प्रकार इनकी ओर से अपील अस्वीकृत करने की प्रार्थना की गई है। उभय पक्षों को सुनने, निम्न न्यायालय आदेश तथा अभिलेख में संलग्न सुसंगत सभी कागजातों के अवलोकन तथा समीक्षोपरांत यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा वर्ष 1963 में शेख खलील ने मुसाई महतो को उक्त भूमि बेच दी	

Web copy, not official.

		जिन्होंने वर्ष 1967 में बीबी जरीमन निशा के बिक्री किये जाने के आधार पर दावा किया जा रहा है जबकि उत्तरवादी का दावा है कि वर्ष 1957 में उक्त भूमि शेख खलील के पक्ष में बंदोबस्ती प्राप्त है जिसमें 40 डी0 अपीलार्थी द्वारा अतिक्रमित कर लिया गया है। इनका यह भी कथन है कि उक्त भूमि शेख खलील द्वारा कभी भी बिक्री नहीं की गई है। निम्न न्यायालय ने पाया है कि बंदोबस्ती भूमि के अंतरण के आधार पर अपीलार्थी का दावा वैध नहीं है और अपीलार्थी द्वारा अतिक्रमित भूमि को खाली कराने का निदेश दिया गया है। क्रमशः निम्न न्यायालय द्वारा तथ्यों का सम्यक् विश्लेषण करते हुए आदेश पारित किया गया है जो सही है। अतः उपर्युक्त के आलोक में निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को विधिसम्मत् एवं न्यायोचित पाते हुए इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अपील आवेदन अस्वीकृत। इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति के साथ निम्न न्यायालय मूल अभिलेख वापस भेजें। लेखापित एवं शुद्धित। आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ। आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ।	
	लगातार 30.11.2023		

Web Copy. Not Official.

Web Copy. Not Official.